"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 अगस्त 2018 —— श्रावण 15, शक 1940

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2018

अधिसूचना

क्र./5790/एफ–11/07/2017/14–2. —— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (निजी मंडी प्रांगण/निजी उप–मंडी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना) नियम, 2018 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 सहपठित धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, कक्ष क्र. एस 3–24, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

नियम प्रारूप

अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (निजी मंडी प्रांगण/निजी उप–मंडी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना) नियम, 2018 कहलायेंगे।

   (2) ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) ''लेखा अधिकारी'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का लेखाधिकारी;

   (ख) ''अपर संचालक''से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणनबोर्ड का अपर संचालक;

   (ग) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973);

   (घ) ''कृषि उपज'' से अभिप्रेत है कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या वन की समस्त उपज, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(ङ) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड;

(च) ''उप–विधि'' से अभिप्रेत है धारा 80 के अधीन बनायी गयी उप–विधि;

(छ) ''कलेक्टर'' से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर;

(ज) ''संभागीय कार्यालय'' से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा राजस्व संभाग में स्थापित कार्यालय;

(झ) ''किसान उत्पादक संगठन'' से अभिप्रेत है ऐसा संगठन, जिसको किसान उत्पादकों को मिलाकर शेयर धारक द्वारा कृषि गतिविधियों के प्रयोजन के लिये बनाया गया हो और जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 18) के अधीन पंजीकृत निगमित निकाय/कंपनी हो तथा प्राथमिक उपज के लेनदेन की गतिविधियों से संबंधित कारोबार में संलग्न हो एवं जो किसान उत्पादकों के लाभ के लिये कार्य करता हो तथा इसके लाभ का हिस्सा, किसान उत्पादकों के बीच बांटा जाता हो और शेष राशि, इसकी शेयर पूंजी अथवा आरक्षित निधि में निवेश की जाती हो;

(ञ) ''वित्तीय वर्ष'' से अभिप्रेत है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की कालावधि;

(ट) ''संयुक्त संचालक'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संयुक्त संचालक;

(ठ) ''प्रबंध संचालक'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक और वह, आयुक्त मण्डी, छत्तीसगढ़ भी होगा;

(ड) ''विनिर्माण'' से अभिप्रेत है कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, प्रकार तथा गुण को उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किसी अन्य वस्तु में बदलना, जिससे उसे नया एवं विभिन्न स्वरूप, प्रकार तथा गुण या सम्मिश्रण/संयोजन प्राप्त होता हो;

(ढ) ''विनिर्माता'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो शारीरिक या यांत्रिक साधनों द्वारा कृषि उपज से विनिर्माण करता हो;

(ण) ''मण्डी क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र, जिसके लिये धारा 4 के अधीन मण्डी स्थापित की गई हो;

(त) ''मण्डी समिति'' से अभिप्रेत है धारा 11 के अधीन गठित समिति;

(थ) ''मण्डी'' से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मण्डी;

(द) मण्डी क्षेत्र के संबंध में ''मण्डी प्रांगण या विशेष उपज मण्डी प्रांगण या उप–मण्डी प्रांगण या किसान उपभोक्ता उप–मण्डी प्रांगण'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा विनिर्दिष्ट स्थान, जिसे धारा 5 की उप–धारा (2) के खंड (क) के अधीन मण्डी प्रांगण या विशेष उपज मंडी प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण या किसान उपभोक्ता उप–मण्डी प्रांगण घोषित किया गया हो;

(ध) मण्डी के संबंध में ''अधिसूचित कृषि उपज'' से अभिप्रेत है ऐसी समस्त उपज, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो;

(न) ''निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण'' से अभिप्रेत है मण्डी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रांगणों से भिन्न ऐसा स्थान, जहां अधोसंरचना का विकास ऐसे व्यक्ति/संगठन/किसान उत्पादक संगठन द्वारा किया गया हो, जिसे अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिये पंजीयन/अनुज्ञप्ति धारण करता हो;

(प) ''प्रसंस्करण'' से अभिप्रेत है चूर्ण करना, पेरना, छिलका उतारना, भूसी निकालना, अर्धोष्ण करना, पालिश करना, ओटना, दबाना, सुखाना या कोई अन्य अभिक्रिया, जो किसी कृषि उपज या उसके उत्पादन पर उसके अंतिम उपभोग के पूर्व की जाती हो;

(फ) ''प्रसंस्करणकर्ता'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो शारीरिक या यांत्रिक साधनों द्वारा कृषि उपज का प्रसंस्करण करता हो;

(ब) ''पंजीकृत व्यक्ति/संस्था'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति/संगठन, जो निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना हेतु मण्डी बोर्ड में पंजीकृत हो;

(भ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है किसी मण्डी समिति का सचिव;

(म) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(य) ''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

अध्याय—दो

निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप—मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना

3. **पंजीयन प्रदाय हेतु आवेदन.**—कोई व्यक्ति/संगठन/किसान उत्पादक संगठन, जो एक या एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में निजी मण्डी प्रांगण या निजी उप—मण्डी प्रांगण या निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने का इच्छुक हो, पंजीयन या उसके नवीकरण के लिये विहित प्ररुप 'क' में,उप—नियम (4) में उल्लिखित अनुसार पंजीयन शुल्क सहित बोर्ड को प्ररुप मेंविहित दस्तावेजों के साथ, निम्नलिखित शर्तों कोपूर्ण करने के पश्चात् आवेदन करेगा :—

(क) (एक) जिला मुख्यालयों में नगरीय निकाय की सीमाओं के भीतर निजी मण्डी प्रांगण की स्थापना हेतु, आवेदक के पास न्यूनतम 10 एकड़ भूमि का स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिये अथवा ऐसा पट्टा होना चाहिये, जिसमें अविवादित कब्जे के साथ तीस वर्ष की न्यूनतम कालावधि के लिए पट्टा करार हो।

(दो) नियम 3 के उप—नियम (क)(एक) के अंतर्गत आने वाले उन स्थानों से भिन्न स्थानों पर निजी मण्डी प्रांगण की स्थापना हेतु अथवा किसी भी स्थान पर निजी उप—मण्डी प्रांगण की स्थापना हेतु, आवेदक के पास 5 एकड़ भूमि का स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिये अथवा ऐसा पट्टा होना चाहिये, जिसमें अविवादित कब्जे के साथ तीस वर्ष की न्यूनतम कालावधि के लिए पट्टा करार हो।

(ख) निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना हेतु, 1 एकड़ भूमि का स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिये अथवा ऐसा पट्टा होना चाहिये, जिसमें अविवादित कब्जे के साथ तीस वर्ष की न्यूनतम कालावधि के लिए पट्टा करार हो।

4. **पंजीयन शुल्क.**— (1) जिला मुख्यालय में नगरीय निकाय की सीमाओं के भीतर निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप—मण्डी प्रांगण को स्थापित करने हेतु पंजीयन शुल्क पचास हजार रूपये होगा तथा निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप—मण्डी प्रांगण को स्थापित करने हेतु अन्य सभी स्थानों के लिये केवल पच्चीस हजार रूपये होगा।

(2) किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने हेतु पंजीयन शुल्क केवल दस हजार रूपये होगा।

5. **बैंक गारंटी.**— (1) जिला मुख्यालय में नगरीय निकाय की सीमाओं के भीतर निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप—मण्डी प्रांगण को स्थापित करने हेतु पंजीयन के लिये आवेदन करते समय, पचास लाख रूपये की बैंक गारंटी, प्रबंध संचालक के पास जमा की जायेगी तथाअन्य सभी स्थानों में निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप—मण्डी प्रांगण को स्थापित करने हेतु पंजीयन के लिये आवेदन करते समय,पच्चीस लाख रूपये की बैंक गारंटी, प्रबंध संचालक के पास जमा की जायेगी। तथापि, किसी सरकारी संगठन या स्थानीय प्राधिकरण को इस उप—नियम से छूट होगी।

(2) निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने हेतु पंजीयन के लिये आवेदन करते समय,दस लाख रूपये की बैंक गारंटी, प्रबंध संचालक के पास जमा की जायेगी। तथापि, किसी सरकारी संगठन या स्थानीय प्राधिकरण को इस उप—नियम से छूट होगी।

6. **आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का परीक्षण तथा सत्यापन.**— प्रबंध संचालक, आवश्यक पंजीयन शुल्क जमा होने पर, आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेजों का आवश्यकतानुसार परीक्षण तथा सत्यापन करायेगा।

7. **परियोजना हेतु अनुमति पत्र जारी करना या प्रतिषेध करना.**— प्रबंध संचालक, नवीन परियोजना की स्थिति में, आवेदन के प्रस्तुति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर,—

परियोजना हेतु पूर्ण कालावधि विनिर्दिष्ट करते हुये अनुमति पत्र जारी करेगा, जो दो वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

अथवा

कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा आवेदक को संसूचित करते हुए अनुमति पत्र जारी करने से इंकार करेगा, तथापि, इस नियम के अधीन आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना,इंकार हेतु पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

परन्तु आवेदक द्वारा भुगतान किए गए पंजीयन शुल्क की राशि वापस की जायेगी, यदि उसे प्रक्रियागत व्यय के लिये शुल्क के पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात् किसी कारण सेपंजीयन प्रदान नहीं किया जाता है।

8. **आवेदक द्वारा आवश्यक अधोसंरचना की स्थापना.**— (1) जिला मुख्यालयों में नगरीय निकाय की सीमाओं के भीतर निजी मण्डी प्रांगण की स्थापना हेतु, आवेदक को भूमि की लागत को छोड़कर केवल पांच करोड़ रूपये के न्यूनतम निवेश से चहार दीवारी, आवक एवं जावक दरवाजा, प्रकाश, जल निकासी, नीलामी हॉल, शेड चबूतरा, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल धर्मकांटा, आंतरिक सड़क, पेयजल, पार्किंग और शौचालय आदि आवश्यक अधोसंरचनायें स्थापित करनी होगी।

(2) नियम 3 के उप–नियम (क)(एक) के अंतर्गत घिरे उन अन्य स्थानों पर निजी मण्डी प्रांगण की स्थापना हेतु अथवा किसी भी स्थान पर निजी उप–मण्डी प्रांगण की स्थापना हेतु, आवेदक को भूमि की लागत को छोड़कर केवल पांच करोड़ रूपये के न्यूनतम निवेश से आवश्यक अधोसंरचना जैसे चहार दीवारी, आवक एवं जावक दरवाजा, प्रकाश, जल निकासी, नीलामी हॉल, शेड चबूतरा, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल धर्मकांटा, आंतरिक सड़क, पेयजल, पार्किंग और शौचालय आदि स्थापित करनी होंगी।

(3) निजी किसान उपभोक्ता मण्डी प्रांगण की स्थापना हेतु, आवेदक को भूमि की लागत को छोड़कर केवल पचास लाख रूपये के न्यूनतम निवेश से आवश्यक अधोसंरचना जैसे विक्रय चबूतरा/दुकान, शेड, पेयजल सुविधा, शौचालय, आंतरिक सड़क, विद्युत, जल निकासी आदि स्थापित करनी होंगी।

9. **परियोजना की समयावधि एवं विस्तार.**— नई परियोजनाओं के मामले में, आवेदक ऐसे अनुमति पत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर परियोजना को पूर्ण करेगा और यदि आवेदक विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर इस परियोजना को पूर्ण नहीं कर सका हो, तो वह कालावधि के विस्तार के लिए कारणों को स्पष्ट करते हुए विस्तार हेतु प्रबंध संचालक को आवेदन कर सकता है। प्रबंध संचालक, परियोजना के निरीक्षण के पश्चात्, विचार तथा समय,जो कि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी, विस्तार कर सकता हैं।

10. **निरीक्षण, जांच तथा पंजीयन का किया जाना.**— नई परियोजनाओं के मामले में, परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् तथा विद्यमान परियोजनाओं हेतु आवेदन के समय आवेदक, प्रबंध संचालक को सूचना देगा। प्रबंध संचालक, निरीक्षण एवं जांच के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर अधिनियम की धारा 32–ख के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुये, प्ररुप 'ग' में उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, निजी मण्डी प्रांगण/निजीउप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना के लिये पंजीयन कर सकेगा।

11. **नवीनीकरण हेतु आवेदन.**— निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का पंजीयन धारक, बोर्ड को प्ररुप 'ख' में पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। प्रबंध संचालक, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा किवह उचित समझे, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन हेत ुनिजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के पंजीयन का नवीनीकरण कर सकेगा।

परन्तु पंजीयन के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, इसकी कालावधि के अवसान से कम से कम एक माह पूर्व किया जायेगा। यदि पंजीयन के नवीनीकरण के लिए आवेदन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार है, तो पंजीयन वैध माना जायेगा, जब तक कि ऐसे आवेदन पर अन्यथा आदेश पारित न किया गया हो।

12. **पंजीयन का जारी किया जाना या स्वीकृत करने से इंकार किया जाना.**— प्रबंध संचालक, कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आवेदक के पंजीयन स्वीकृत करने से इंकार कर सकेगा या उसके नवीनीकरण से इंकार कर सकेगा, जो अधिनियम और नियमों के अधीन या तो दिवालिया हो या अन्यथा अयोग्य हो।

13. **पंजीयन की कालावधि.**— उप–नियम (10) के अधीन प्रदत्त पंजीयन, पंजीकरण प्रदान किये जाने से दसवें वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा, जिसमें वह वर्ष भी सम्मिलित है, जिसमें वह प्रदत्त किया गया है।

14. **मण्डी शुल्क का संग्रहण.**— निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगणका पंजीयन धारक, क्रेताओं से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मण्डी शुल्क संग्रहित करेगा और मण्डी शुल्क का 25%, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड को भुगतान करेगा।

15. **सेवा शुल्क का संग्रहण.**— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 19 की उप–धारा (8) के अनुसार, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का पंजीयन धारक,ऐसी दरों पर सेवा शुल्क/उपयोग शुल्क विक्रेता से संग्रहित करेगा, जैसा कि संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति की उप–विधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये।

16. **निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण में विक्रय की सीमा.**—निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण में विक्रेता कृषक को, एक उपभोक्ता को एक दिन में दस किलोग्राम से अधिक फल एवं सब्जियां अथवा अन्य खराब होने वाले कृषि उपज तथा पचास किलो ग्राम अनाज या अन्य खराब न होने वाले कृषि उपज को विक्रय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
के.सी.पैकरा, संयुक्त सचिव.

प्ररुप क

निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप—मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता
प्रांगण की स्थापना हेतु आवेदन
(नियम 3 देखिये)

आवेदन क्र. ....
दिनांक..

प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
रायपुर

1. आवेदक/फर्म का नाम तथा स्थायी पता दूरभाष नंबर।
2. आवेदक (अर्थात् व्यक्ति या साझेदारी फर्म या कंपनी) की स्थिति।
3. प्रोपाइटर/फर्म के भागीदार/अध्यक्ष/कंपनी का निदेशक।
4. यदि आवेदक कंपनी या सहकारी समिति है, तो पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक देना है।
5. प्रस्तावित निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप—मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का विवरणः—(प्रस्तावित प्रांगण का विस्तृत लेआउट संलग्न किया जाना है)

स. क्र.	निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप—मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का नाम	मंडी समिति का नाम	स्थान, जहां प्रांगण स्थापित किया जाना प्रस्तावित है और उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल	कारबार हेतु प्रस्तावित उपज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ की किसी मण्डी समिति का पंजीयन धारक है।यदि है,तो निम्नलिखित विवरण दें :—

स. क्र.	मण्डी समिति का नाम	पंजीयन क्र. और वर्ष	पंजीयन की श्रेणी	कारबार की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा एवं कीमत (विगत 3 वर्षों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. (क) क्या पंजीयन कभी रद्द किया गया था ? यदि हां, तो विवरण दें:

   (ख) क्या कोई जुर्माना लगाया गया था? यदि हां, तो विवरण दें:

8. भूमि से संबंधित दस्तावेज स्थान नक्शा सहित, रकबा, स्वामित्व, क्षेत्र, शीर्षक (भूमि लीज की दशा में, लीज का अनुबंध, कब्जा प्रमाणपत्र, आदि) और उस प्रभाव के लिए विधि व्यवसायी का प्रमाणपत्र।

9. निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के विस्तृत परियोजना प्रस्ताव की अनुमोदित/प्रमाणित प्रति।निम्नलिखित तालिका में भूमि की लागत को छोड़कर लागत के टूटने से बनाई गई आधारभूत अधोसंरचनाओं का विवरण (लागत के समर्थन में सबूत भी संलग्न करना होगा) :–

स. क्र.	अधोसंरचनाओं का प्रकार	अनुमानित लागत (रू.)/वास्तविक लागत (यदि पहले से ही स्थापित है)।
1		
2		

10. आवेदक की वित्तीय स्थिति के समर्थन में ऐसे बैंक स्टेटमेंट के रुप में, आयकर रिटर्न, पैन, संपत्ति और दायित्वों का विवरण और मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी इसका मूल्यांकन प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।

11. पंजीयन शुल्क भुगतान धारक के समर्थन में डिमांड ड्राफ्ट।

12. निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का संचालन एवं नियंत्रण कैसे किया जायेगा, इस संबंध में ऑपरेशनल और वर्किंग दिशा निर्देश।

13. आवेदक को इन नियमों के प्रावधान के अनुसार बैंक गारंटी और शपथपत्र देना होगा कि वह अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करेगा और उल्लंघन की दशा में वह/वे वैधानिक कार्यवाही सहित उनका पंजीयन निरस्त होने के दायित्वाधीन होगा और सभी बकाया राशि की वसूली की जा सकेगी।

14. आवेदक इसके अतिरिक्त और कोई अन्य संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है।

15. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैं/हमने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973), नियम और उसके अधीन बनाई गयी उप–विधियों को पढ़ लिया है। मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम, उप–विधियों और राज्य सरकार या पंजीयन प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन करूँगा/करेंगे।

(आवेदक)

नाम :

सील :

प्ररुप ख

निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता
प्रांगण के पंजीयन के नवीकरण हेतु आवेदन का प्ररुप
(नियम 11 देखिये)

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड

1. निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का विवरण, जिसके लिए पंजीयन किया गया है।
2. आवेदक का नाम।
3. पंजीयन क्रमांक।
4. पंजीयन समाप्त होने का दिनांक।
5. नवीकरण हेतु अपेक्षित कालावधि।
6. प्रबंध संचालक के साथ जमा बैंक गारंटी/नगद सुरक्षा की राशि।
7. आवेदक या जहाँ आवेदक एक फर्म है,उसका कोई भी सदस्य अकेले या अन्य किसी संस्था के सहयोग से होः–

   (क) किसी भी अन्य मण्डी क्षेत्र में कोई पंजीयन स्वीकृत किया गया तथा उसका पंजीयन निलंबित या रद्द कर दिया गया हो।यदि ऐसा है तो कब, कहां, कितनी कालावधि के लिए और किन कारणों से;या

   (ख) नैतिक अधमता के किसी भी अपराध का दोषी पाया गया है।यदि ऐसा है तो सजा की तिथि; या

   (ग) उन्मोचित दिवालिया घोषित किया गया हो; या

   (घ) मण्डी समिति/विक्रेता/कृषक/उत्पादक विक्रेता को देय राशि का भुगतान करने में चूक किया हो;

      (1) मैं नवीकरण शुल्क की राशि का डिमांड ड्राफ्ट खाता क्रमांक.........................दिनांक.........................की राशि रूपये..............................संलग्न कर रहा हूं।

      (2) मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्तानुसार विवरण सत्य और सही है।

दिनांक..................

आवेदक के हस्ताक्षर.

प्ररुप ग

निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता
प्रांगण की स्थापना हेतु पंजीयन
(नियम 10 देखिये)

एतद्द्वारा, (नाम).................................(पता)........................(फोन नंबर).........................( ) को शुल्क रू..........................के भुगतान पर कृषि उपज मण्डी समिति............................. के मण्डी प्रांगण में, अधिसूचित कृषि उत्पादों के विपणन के लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973), और नियम, 2018 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये निम्नलिखित नियम और शर्तों पर, निजी मण्डी प्रांगण/निजी उप–मण्डी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना के लिए पंजीयन किया जाता है:–

1. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973)और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधान पंजीयन धारक पर बंधनकारी होंगे।
2. यह पंजीयन हस्तांतरणीय नहीं है।
3. यह पंजीयन,उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार निलंबित या रद्द किया जा सकता है और यदि पंजीयन धारक किसी भी कार्य को रोकता है या मण्डी/प्रांगण में अपने व्यापार को जानबूझकर बाधा डालने के इरादे से रोकता है, निलंबित करता है या मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन को रोकता है, तो उसके पंजीयन को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
4. इस पंजीयन के निलंबन या रद्द होने की स्थिति में, बोर्ड को समर्पित हो गया माना जायेगा।
5. पंजीयन धारक, अधिसूचित कृषि उपज में कोई मिलावट नहीं करेगा या न ही मिलावट होने देगा।
6. पंजीयन धारक, मण्डी शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए कृषि उपज मण्डी समिति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन/प्रबंध संचालक/संयुक्त संचालक/सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन तथा सहयोग करेगा।
7. पंजीयन धारक, बोर्ड से पंजीयन प्राप्त होने के पश्चात्, पंद्रह दिवस की कालावधि के भीतर,पंजीयन धारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उसके निमित्त उत्तरदायी हो के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेगा।
8. पंजीयन धारक, प्रबंध संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित रीति से कृषि उपज के संबंध में पुस्तकें, पंजियां और अभिलेख संधारित करेगा।
9. पंजीयन धारक,कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय की जानकारी तथा विवरणियां, प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समय–समय पर, जैसा कि उसके द्वारा अपेक्षित किया जाये,प्रस्तुत करेगा।
10. पंजीयन धारक,अधिसूचित कृषि उपज को, यदि स्वयं के द्वारा अथवा उसकी एजेंसी के माध्यम से क्रय करता है, तो विक्रेता को इस प्रकार बेची गई कृषि उपज के मूल्य का भुगतान उसी दिन नगद या चेक, यथास्थिति, द्वारा करना होगा।
11. पंजीयन धारक, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी शुल्क का अनुरोध नहीं करेगा या अन्य प्रभार के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क पुर्नप्राप्त नहीं करेगा, जिसे वह प्राप्त करने या पुर्नप्राप्त करने का हकदार हो।
12. पंजीयन धारक, विहित से कोई अन्यथा वाणिज्यिक भत्ता उद्ग्रहित या पुर्नप्राप्त नहीं करेगा।
13. पंजीयन धारक, प्राधिकृत तौल और माप के लिए उपकरण उपलब्ध करायेगा।
14. पंजीयन धारक, तौलइया एवं हमालों आदि की पारिश्रमिक दरों का अनुमोदन, प्रबंध संचालक से प्राप्त करेगा।
15. पंजीयन धारक, पंजीयन धारक के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना, प्रबंध संचालक को देगा।
16. पंजीयन धारक, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित सभी विवादों को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973)के अधीन उपबंधित रीति में निर्दिष्ट करेगा।
17. पंजीयन धारक, कृत्रिम अभाव सृजित कर उपज मूल्य में बढ़ोत्तरी के इरादे से लम्बी अवधि के लिए अधिसूचित कृषि उपज का अवैध भण्डारण नहीं करेगा या किसी कदाचरण में सम्मिलित नहीं होगा।
18. पंजीयन के विरूपित हो जाने, खो जाने, फट जाने, गलती से खो जाने अथवा दुर्घटनावश नष्ट हो जाने आदि की स्थिति में,रू. 100/– के भुगतान पर पंजीयन की छायाप्रति जारी की जा सकेगी।
19. इस प्रमाणपत्र के अधीन किये गये पंजीयन का तब तक नवीकरण नहीं किया जायेगा, जब तक कि दसवें वर्ष, जिसमें वह वर्ष भी सम्मिलित है, जिसमें अनुदान दिया गया हो का अवसान न हो गया हो।
20. पंजीयन धारक, राज्य सरकार या प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देशों का पालन करेगा।

स्थान :
दिनांक : प्रबंध संचालक

Naya Raipur, the 3rd August 2018

NOTIFICATION

No./5790/F-11/07/2017/14-2. — The following draft of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Establishment of Private Market Yard/Private Sub-Market Yard/Private Farmer Consumer Yard) Rules, 2018, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 79 read with clause (q) of sub-section(1) of Section 2 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is hereby, published as required by sub-section (1) of the Section 79 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of the notification in the Official Gazette;

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Additional Chief Secretary and Agriculture Production Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Agriculture, Room No. S 3-24, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT RULES

CHAPTER-1
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Establishment of Private Market Yard/Private Sub-Market Yard/Private Farmer Consumer Yard) Rules, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may appoint by notification in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) ''Accounts Officer'' means Accounts Officer of the Chhattisgarh State Agricultural Marketing Board;

(b) ''Additional Director''means Additional Director of the Chhattisgarh State Agricultural Marketing Board;

(c) ''Adhiniyam'' means the Chhattisgarh KrishiUpajMandi Adhiniyam,1972 (No.24 of 1973);

(d) ''Agricultural Produce'' means all produce of agriculture, horticulture, animal husbandry, apiculture, pisciculture or forest as specified in Schedule of the Adhiniyam;

(e) ''Board'' means the Chhattisgarh State Agricultural Marketing Board;

(f) ''Bye-laws'' means the bye-laws made under Section 80;

(g) ''Collector'' means District Collector;

(h) ''Divisional Office'' means office established by the Board in Revenue Divisions;

(i) ''Farmer Producer Organization'' means an organization which is built up by the share holderconsisting of farmer producers for the purpose of agricultural activities and is a body corporate/company registered under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013), and is engaged in trading related activities of the transaction of primary produce and works for the benefit of the farmer

producer and part of its benefit be divided among the farmer producers and remaining amount be invested in its share capital or reserve fund;

(j) ''Financial Year'' means the period from 1st April to 31st March;

(k) ''Joint Director'' means Joint Director of the Chhattisgarh State Agricultural Marketing Board;

(l) ''Managing Director'' means the Managing Director of the Chhattisgarh State Agriculture Marketing Board appointed under the Adhiniyamand he shall also be the Commissioner,Mandi,Chhattisgarh;

(m) ''Manufacture'' means conversion of original look, size, shape and the properties of the agricultural produce into other product having new and different look, shape and the properties or mixture/combination thereof for the commercial purpose;

(n) ''Manufacturer'' means a person who manufactures from an agriculture produce by manual or mechanical means;

(o) ''Market Area''means the area for which a market is established under Section4;

(p) ''Market Committee'' means a committee constituted under Section 11;

(q) ''Market'' means a market established under Section 4;

(r) ''Market yard or special produce market yard or sub-market yard or farmer consumer sub-market yard'' in relation to a market area means a specified place declared to be a market yard or special produce market yard or sub-market yard or farmer consumer sub-market yard under clause (a) of sub-section (2) of Section 5;

(s) ''Notified Agricultural Produce'' in relation to a market means all such produce specified in the Schedule of the Adhiniyam;

(t) ''Private market yard/private sub-market yard/private farmer consumer yard'' means such place other than the yards notified by the State Government in the market area, where infrastructure has been developed by a person/organization / farmer producer organization for marketing of notified agricultural produce holding a registration/license for this purpose under the Adhiniyam;

(u) ''Processing'' means powdering, crushing, decorticating, husking, parboiling, ginning, pressing, curing or any other treatment to which an agricultural produce or its product is subjected to before final consumption;

(v) ''Processor'' means a person who processes agricultural produce by manual or mechanical means;

(w) ''Registered Person/ Organization'' means a person/ organization, who is registered in Mandi Board for establishment of private market yard/private sub-market yard/private farmer consumer yard;

(x) ''Secretary'' means the Secretary of a Market Committee.

(y) ''Section'' means the Section of the Adhiniyam;

(z) ''State Government'' means the Government of Chhattisgarh.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF PRIVATE MARKET YARD / PRIVATE SUB MARKET YARD / PRIVATE FARMER CONSUMER YARD

3. Application for grant of registration.- (1) Every person/organization/Farmer producer organization who desires to establish a private market yard or Private sub-market yard or private farmer consumer yard in one or more than one market area, shall apply for grant of a registration or renewal thereof, in the prescribed FORM 'A' to the Board, along with the documents prescribed in that Form, with the registration fee as mentioned in sub-rule (4), after fulfilling the following conditions:-

(a) (i) For establishment of private market yard at district head quarters within the limits of municipal body, there should be with the applicant a minimum of 10 acres of land with clear title or leasehold having the lease agreement for a minimum period of thirty years with undisputed possession.

(ii) For establishment of private market yard at places other than those covered under sub-rule (a)(i) of rule 3, or for establishment of private sub-market yard at any place, there should be with the applicant a minimum of 5 acres of land with clear title or leasehold having the lease agreement for a minimum period of thirty years with undisputed possession.

(b) For establishment of private farmer consumer yard, there should be with the applicant a minimum of 1 acre of land with clear title or leasehold having the lease agreement for a minimum period of thirty years with undisputed possession.

4. Registration fee.- (1) Registration fee for establishing a private market yard/ private sub-market yard at district head quarters within limits of municipal body shall be rupees fifty thousand, and for establishing a private market yard/private sub-market yard for all other places shall be twenty five thousand only.

(2) Registration fee for establishing a farmer-consumer yard shall be rupees ten thousand only.

5. Bank guarantee.- (1) While applying for registration to establish a private market yard/private sub market yard at district head quarters within the limits of municipal body, a bank guarantee worth rupees fifty lacs shall be deposited with the Managing Director and while applying for a registration to establish a private market yard/private sub-market yard at all other places a bank guarantee worth rupees twenty five lacs shall be deposited with the Managing Director. However any Government organisation or local authority shall be exempted from this sub-rule.

(2) While applying for registration to establish a private farmer consumer yard, a bank guarantee worth rupees ten lacs shall be deposited with the Managing Director. However any Government organisation or local authority shall be exempted from this sub-rule.

6. Examination and verification of application and documents.- The Managing Director shall, upon deposition of the necessary registration fee, get all the documents submitted by the applicant along with the application examined and verified as per requirements.

7. Issuance or refusal of permission for project.- In case of a new project, the Managing Director shall within 30 days from the date of submission of application,-

issue a letter of permission for the project specifying the period for completion which shall not be more than two years.

OR

refuse to issue permission letter for the reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, however no letter of refusal under this rule shall be issued unless a reasonable opportunity of being heard is given to the applicant:

Provided that the amount of registration fee paid by the applicant shall be refunded if the registration is not granted for any reason after deducting fifty percent of the fees towards processing expenses.

8. Establishment of necessary infrastructure by applicant.- (1) For establishment of private market yard at district head quarters within the limits of municipal body, the applicant will have to establish necessary infrastructure like boundary wall, exit and entry gate, light, drainage, auction hall, auction sheds, godowns, cold storages, electrical weigh bridges, internal roads, drinking water, parking and toilets etc., with a minimum investment of rupees five crores only excluding the cost of land.

(2) For establishment of private market yard at places other than those covered under sub-rule (a)(i) of rule 3, or for establishment of private sub-market yard at any place, the applicant will have to establish necessary infrastructure like boundary wall, exit and entry gate, light, drainage, auction hall, auction sheds, godowns, cold storages, electrical weigh bridges, internal roads, drinking water, parking and toilets etc., with a minimum investment of rupees five crores only excluding the cost of land.

(3) For establishment of private farmer consumer market yard, the applicant will have to establish necessary infrastructure like sales platform/shops, sheds, drinking water facilities, toilets, internal roads, electricity, drainage etc., with a minimum investment rupees fifty lacs only excluding the cost of land.

9. Time period and extension of project.- In case of new projects, the applicant shall complete the project within the period specified in such permission letter and if the applicant is unable to complete the project within the specified period, he may apply to the Managing Director for an extension explaining the reasons for seeking extension of the period. The Managing Director after inspection of the project may consider and grant extension of time which shall not exceed one year.

10. Inspection, enquiry and grant of registration.- In case of new projects, after completion of the project and for existing projects at the time of application, the applicant shall give intimation to the Managing Director. The Managing Director after inspection and enquiry if found suitable may subject to the provisions of Section 32-B of the Adhiniyam, grant registration in Form 'C' for establishment of a private market yard/ private sub-market yard/private farmer consumer yard subject to the conditions specified therein.

11. Application for renewal.- The registration holder of private market yard/private sub-market yard/private farmer consumer yard may submit application for renewal of registration in Form 'B' to the Board. The Managing Director after making such enquiries as deemed fit, may renew the registration of the private market yard/private sub-market yard /private former consumer yard for marketing of notified agricultural produce:

Provided that every application for renewal of registration shall be made at least one month before the expiry of its period. If the application for renewal of registration is in accordance with the provisions of the Adhiniyam and Rules, the registration shall be deemed valid until otherwise orders are passed on such application.

12. Issuance or refusal of grant of registration.- The Managing Director, after giving the applicant an opportunity of being heard, for the reasons to be recorded in writing, may refuse to grant or refuse to renew the registration to the applicant who is either insolvent or otherwise disqualified under the Adhiniyam and Rules.

13. Period of registration.- A registration granted under sub-rule (10) shall remain in force until the expiry of tenth financial year from the grant of registration including the year in which it was granted.

14. Collection of market fee.- The registered holder of Private market yard/Private sub-market yard shall collect the market fee from, the buyers as per the provisions of

the Adhiniyam and shall pay 25% of the market fee to the Chhattisgarh State Agriculture marketing Board.

15. **Collection of service charges.-** As per sub-section (8) of Section 19 of the Chhattisgarh KrishiUpajMandiAdhiniyam 1972 (No. 24 of 1973) registered holder of private farmer consumer yard shall collect service charges/user charges from the sellers at such rate as may be specified in bye-laws of concerned Agricultural Produce Market Committee.

16. **Limit on sell in private farmer consumer yard.-** The seller farmer in the private farmer consumer yard shall not be permitted to sell more than ten Kilograms of fruits and vegetables or other perishable agricultural produce and fifty Kilograms of food grains or other non-perishable agricultural produce to one consumer in a day.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K.C. PAIKARA, Joint Secretary.

FORM A

Application for Establishment of Private Market yard/Private Sub-Market yard/Private Farmer Consumer yard
(See rule 3)

Application No. ....
Dated.........................

The Managing Director
C.G. State Agriculture Marketing Board
Raipur

1. Name and Permanent Address of the applicant /Firm Telephone number.
2. Status of the applicant (i.e. individual or partnership firm or company).
3. Proprietors/Partners of the firm/Chairman/Director of the company.
4. If applicant is a company or co-operative society, if so, give registration number and date.
5. Details of proposed Private Market yard/Private Sub-Market yard/Private Farmer Consumer yard :- (Detailed layout plan of the proposed yard to be enclosed)

S. No.	Name of private market yard/ Sub- market yard/private farmer consumer yard	Name of market committee	Place where the yard is proposed to established and the area of the land available	Commodities proposed to be traded
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. Whether the applicant is a register holder of any market committee of Chhattisgarh. If so, give following details :-

S. No.	Name of market committee	Registration No. and year	Category of Registration	Quantity and value of Notified agriculture commodity traded(last 3 years)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. (a) Whether the registration was ever cancelled? If so, give details :

(b) Whether any penalty was imposed ? If so, give details :

8. Documents relating to land including location map, ownership extract, area, title, (In case of leasehold land, lease agreement, possession certificate, etc) and a certificate of legal practitioner to that effect.

9. Detailed project-report approved/certified copy of the plan of the Private Market yard/Private sub-market yard/Private Farmer Consumer yard. Details of infrastructure created, intended to be created with the breakup of the cost excluding the cost of the land in following table (proof in support of cost shall also be enclosed):-

S. No	Type of Infrastructure	Estimated Cost (Rs.)/Actual cost (if already set up).
1		
2		

10. Financial Status of the applicant with supportive document such as bank statements, Income-tax returns, PAN, Assets and Liability statement and its valuation certificate issued by a recognized chartered accountant.

11. Demand Draft in support of having paid the registration fee.

12. Operational and working guidelines as to how Private Market yard/Private Sub-Market yard/Private Farmer Consumer yard shall be conducted, controlled and operated.

13. A Bank guarantee as provided in these rules undertaking and Affidavit that the applicant shall abide by all the provisions of the Act and rules made thereunder and in case of violation he/they shall be liable for legal action including cancellation of registration and recovery of all dues.

14. Any other relevant information/documents that the applicant desires to furnish.

15. I/We declare that I/We have read the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), rules and bye-laws made thereunder. I/We shall abide by the provisions of the said Adhiniyam, the rules the bye-laws and the direction issued by the State Government or the Registration Authority,from time to time.

(Applicant)

Name:

Seal:

FORM B

Application Form for the renewal of registration of private market yard/private sub-market yard/private farmer consumer yard
(See rule 11)

To

The Managing Director
Chhattisgarh State Agriculture Marketing Board

1. Particulars of the private market yard/private-sub market yard/private farmer consumer yardfor which the registration has been granted.
2. Name of the applicant
3. Number of registration.
4. Date on which the registration expires.
5. Period for which renewal is required.
6. The amount of Bank guarantee/cash security deposited with the Managing Director.
7. Has the applicant(s) or where the applicant is a firm, has any member thereof singly or in collaboration with anybody else, been:-
   (a) Granted any registration in any other market area and his registration has been suspended or cancelled. If so, when, where, for what period and for what reasons; or
   (b) Convicted of any offence involving moral turpitude. If so the date of conviction; or
   (c) Declared as a un-discharged insolvent; or
   (d) Defaulter of not paying the dues to the market committee / seller / agriculturist/producer seller.
      (1) I am enclosing a demand draft No.....dated.......amounting to Rs................ on account of renewal fee.
      (2) The particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Dated................ Signature of the applicant.

FORM C

Registration for establishment of Private market yard/
Private sub-market yard/private farmer-consumer yard
(See rule 10)

Registration is hereby granted to............. (Name) ....(Address) .... (Phone Number)................ ( ) on payment of fee of Rs.........for establishment of Private market yard/private sub-market yard/private farmer consumer yard .... , in the market area of Agricultural Produce Market Committee................ for the marketing of notified agricultural produce subject to the provisions of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and Rules, 2018 on the following terms and conditions:-

1. The registration holder shall abide by the provisions of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No 24. of 1973) and the rules framed thereunder.

2. This registration is not transferable.

3. This registration may be suspended or cancelled in accordance with the provisions of the said Adhiniyam and the rules made thereunder and if the register holder commits any act or abstains from carrying out his normal business in the market/yard with the intention of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of agricultural produce in the market area, the registration may be suspended or cancelled.
4. In the event of suspension or cancellation of this registration, it shall be surrendered to the Board.
5. The registration holder shall not adulterate or cause any notified agricultural produce to be adulterated.
6. The registration holder shall help and comply with the directions issued by the Government of the Chhattisgarh/Managing Director/Joint Director/Secretary of concern Agricultural Produce Market Committee in preventing evasion of market fees.
7. The registration holder after grant of registration by the Board shall within a period of fifteen days inform about the authorized representative of the registration holder who shall be responsible on his behalf.
8. The registration holder shall maintain books, registers and records in respect of the agricultural produce in the manner, required by the Managing Director or any person authorized by him.
9. The registration holder shall furnish information and returns of Sale and purchase of agricultural produce as specified by the Managing Director or the Officer authorized by him as may be required by him from time to time.
10. The registration holder shall, if notified agricultural produce is sold through his agency or by him, pay to the seller the price of the agricultural produce so sold on the same day by cash or cheque as the case may be.
11. The registration holder shall not solicit or receive any fees or recover any charges other than those which he is entitled to receive or recover in accordance with the provisions of the Adhiniyam and the rules.
12. The registration holder shall not make or recover any trade allowance other than those prescribed.
13. The registration holder shall provide for authorized weights and measures.
14. The registration holder shall pay to the measurer and hamals, etc., at the rates approved by the Managing Director.
15. The registration holder shall inform the Managing Director any change in the constitution of the registration holder.
16. The registration holder shall refer all disputes in relation to the marketing of the notified agricultural produce in the manner provided under Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).
17. The registration holder shall not involve in any misconduct or illegal stocking of notified agricultural produce for a long period with an intention to create artificial scarcity which leads to price rise.
18. In case the registration issued is defaced, misplaced, torn, lost or accidentally destroyed, etc., a duplicate registration on payment of Rs.100/- may be issued.
19. The registration granted under this certificate unless renewed remains in force till the end of tenth year including the year in which it has been granted.
20. The register holder shall comply with all the instructions issued by the State Government or Managing Director, Chhattisgarh State Agriculture Marketing Board, from time to time.

Place :
Date : Managing Director

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.